न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2018/00379 (259/2018)

1. धर्मसिंह पुत्र श्री बुधसिंह जाति बावरी निवासी चक 4 एमओडी पोस्ट डबलीवास मिढा रोही तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। (फौत)

1/1 नानक
1/2 रमेश
1/3 सतपाल } पुत्रगण धर्मसिंह पुत्र श्री बुधसिंह जाति बावरी निवासी चक 4 एम.ओ.डी. पोस्ट डबलीवास मिढा रोही, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, हनुमानगढ।
2. मनीराम पुत्र श्री गणपतराम जाति सांसी निवासी नूरपूरा तहसील व जिला हनुमानगढ —— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ, दिनांक 22.06.2018 प्रकरण संख्या 219/2018 बअनवानी धर्मसिंह बनाम मनीराम आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट राजकीय अधिवक्ता

श्री अजय कुमार बिश्नोई रेस्पो0 सं0 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक – 26.02.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत आवागमन हेतु रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्वीकृति हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 4 एमओडी के खाता संख्या 93/93 के प0 नं0 73/265 (94) के किला नं. 6, 15, 25 में प्रत्येक 0.025 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी मनीराम व नानकसिंह पुत्र धर्मसिंह बावरी कालूराम पुंत्र रामचन्द्र सांसी व सुल्तान पुत्र बखू राम सांसी ने विधि विरूद्ध तरीके से साजबाज कर विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान की सहमति होने के मिथ्या कथन करते हुए फर्जी तरीके से अपीलाण्ट का शपथ–पत्र तैयार कर न्यायालय को गुमराह कर एकपक्षीय रास्ता स्वीकृति का आदेश प्राप्त किया है। अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई सहमति नहीं दी। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृति बाबत किसी स्टाम्प पर कभी अंगूठा निशानी नही लगाया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। सहमति पत्र एवं नोटेरी से प्रमाणित दिनांक एवं नोटेरी के रजिस्टर दर्ज क्रमांक भी अलग अलग तारीख अंकित है। दस्तावेज कतई कूटरचित है। रास्ते के संबंध में तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''क'' के प्रावधानानुसार कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। अपीलाण्ट को आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपने पुत्र रमेश पुत्र धर्मसिंह के साथ्ज्ञ रहता है। प0 नं0 73/265 मु0 नं0 94 के किला नं. 6.25 है0 में से रास्ता स्वीकृत किया है वहां ना तो कभी पूर्व में रास्ता चला एवं नाही वर्तमान में चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश [illegible] जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में [illegible] आरआरटी 2018 (2) पेज 1402 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:26 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत रास्ता अपीलाण्ट के आवेदन पत्र पर स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने समस्त तथ्य मिथ्या कहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 4 एमओडी के खाता संख्या 93/93 के प0 नं0 73/265 (94) के किला नं. 6, 15, 25 में प्रत्येक 0.025 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता स्वीकृति हेतु कोई सहमति नहीं दी गई, मगर अपीलाण्ट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र और सहमति पत्र संलग्न है जिसमें रास्ता हेतू सहमति दी गई है जिसपर अपीलाण्ट का अंगूठा निशानी लगी है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा सहमति देने के उपरान्त ही रास्ता स्वीकृत किया गया है, अपीलाण्ट को इस आदेश को अपील के द्वारा प्रश्नगत करने कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

26/2/21

(करतारसिंह पूनीयाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:26 IST
Reason: SelfAttested